FTS- 59025

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा
जनपद–गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः–सम्पत्ति / किसान–आबादी / 2024 / 5514 दिनांकः– 29 / 08 / 2024

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के किसानों को उनकी अधिग्रहीत की गयी आबादी के एवज में आवंटित किये गये भूखण्डों के लीज प्लान तैयार किये जाने के उपरान्त आवंटित भूखण्डों के आकार में यदि 10 प्रतिशत तक की बढोत्तरी होने पर वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति) के स्तर से तथा 10 प्रतिशत से अधिक बढोत्तरी होने पर नियोजन अनुभाग से मंतव्य प्राप्त कर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से अनुमोदन किये जाने की नीति के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 30.08.2007 के क्रम में वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति) द्वारा कार्यालय आदेश पत्रांक–सम्पत्ति / किसान आबादी / 2007 / 877, दिनांक 31.08.2007 निर्गत किया गया था।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 135वीं बैठक दिनांक 15.06.2024 के मद संख्या–29 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण हित एवं जनहित में कार्यालय आदेश पत्रांक–सम्पत्ति / किसान आबादी / 2007 / 877, दिनांक 31.08.2007 को अवक्रमित करते हुए आबादी भूखण्ड के क्षेत्रफल में बढोत्तरी की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में निम्न नीति प्राविधानित की जाती हैः–

1. यदि किसान आबादी भूखण्ड के नियोजन / आवंटन के उपरान्त परियोजना विभाग से तैयार किये गये लीज प्लान में आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत तक की बढोत्तरी होने की दशा में बढे क्षेत्रफल की गणना निकटतम आवासीय सेक्टर हेतु निर्धारित आवंटन दर के आधार पर करते हुए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि किसान आबादी भूखण्ड के नियोजन / आवंटन के उपरान्त परियोजना विभाग से तैयार किये गये लीज प्लान में आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक की बढोत्तरी होने की दशा में बढे क्षेत्रफल की गणना निकटतम आवासीय सेक्टर हेतु निर्धारित आवंटन दर के आधार पर करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(सौम्य श्रीवास्तव)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के.) महोदय के अवलोकनार्थ।
3. डिप्टी कलेक्टर (जे) को सूचनार्थ।
4. विशेष कार्याधिकारी (एस.के.) को सूचनार्थ।
5. महाप्रबन्धक (परियोजना / वित्त / नियोजन), ग्रेटर नोएडा।
6. प्रबन्धक (किसान आबादी / सिस्टम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. गार्ड फाइल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
28/8/24